ANNUAL REPORT



2023-24

LAW Foundation

A Pathway to Justice



2023-24

Table of Contents \(\simega \)

About Us	03
Core Interventions	04
Outreach	06
Our Initiatives	07
Collaborations	80
Socio-legal Impact in Numbers	11
Highlights	13
Case Impact Narratives	14
Media and Publications	16
Our Partners	20



About Us

LAW Foundation is a non-governmental organization facilitating socio-legal aid services towards custodial population primarily belonging to the marginalized and vulnerable sections of the society, incarcerated in various prisons across Bihar, India.

The interventions of LAW Foundation aims to facilitate sustainable mental health services & social well-being to prisoners and marginalized communities apart from providing socio-legal aid services and counseling. The organization also collaborates with various key stakeholders, governmental and non-governmental organizations at the grass-roots level for making justice more easily accessible to people.

LAW Foundations does capacity building, conducts training programs, boot camps and field researches.

Mission

Vision

To extend socio-legal aid to disadvantaged communities, groups, and individuals, enabling access to constitutional rights

To end structural inequality towards the disadvantaged population and promote fair, just and inclusive society for all

Core Interventions

Socio-Legal Aid Services

Providing socio-legal aid to custodial populations is essential to address overcrowding. prison Our social workers offer counseling to prisoners, support their families, and assist with protective social schemes and emergency rations. Meanwhile, our extends crucial legal legal team This remedies to inmates. comprehensive approach aims to improve the well-being of both prisoners and their families.



Sustainable Mental Health in Prisons and Communities

Our team's initiatives align with the health social mental work intervention framework within the criminal justice system, focusing on preventing and reducing health issues in prisons. By providing mental health support to prisoners families, conducting and their awareness sessions, forming peer support groups, and advocating for social entitlements rights, we aim to sustainable positive create а environment for mental health.

Core Interventions

Community Engagement

LAW Foundation is also working with a community in Jehanabad. We work historically disadvantaged with communities such as the Musahar community among others, it is one of most deprived communities, knows as 'Mahadalits' in the context of Bihar. As one of the poorest and most disadvantaged communities, significant Musahars face socioeconomic challenges. We intervene by providing social entitlement legal awareness, and other essential support services to empower these communities.






Social Re-integration and Livelihood

Social workers prepare rehabilitation and reintegration processes for prisoners to facilitate their smooth return to the community. This includes conducting follow-up visits, providing emergency support, and connecting them with livelihood sources.

Our Outreach



- PATNA
- GAYA
- JEHANABAD
- **BHOJPUR**
- BHAGALPUR
- SAMASTIPUR

<u>admin@lawfoundation.org.in</u>

Our Initiatives

Jail Visits: Our socio-legal intervention starts from prison. We visit prisons to identify marginalized, poor, and abandoned prisoners who are in need of our socio-legal assistance.

Home Visits: Once a person is incarcerated in prison, family ties break, and mulakaati does not happen. In such circumstances, the organization conducts home visits to guide and counsel the family in relation to various sociolegal issues that exist and their remedies.

Legal aid: We provide legal aid services to poor, abandoned, marginalized, and undertrial prisoners, in form of bail, trial, appeal, writs, and PIL.

Counseling: Long-term incarceration badly affects the mental health of prisoners in jail. By providing regular counseling, we help them in overcoming mental health issues which they deal with every day.

Legal Awareness: Disseminating information about legal rights, government policies, and other entitlements through awareness programs, seminars, etc.

Community Engagement: We engage in the community through providing social entitlement rights and legal awareness. Our aim is to empower the marginalized communities and the youth.

Collaborations





DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITY

The organization has organized 15 deaddiction sessions and 20 mental health awareness sessions, in prisons including Model Central Jail, Beur, District Camp Jail Phulwari Sharif, Sub-Jail Danapur, and Sub-Jail Masauri.



SHELTER HOMES

In collaboration with shelter homes in Patna, the organization facilitates shelter to exprisoners who are destitute, disowned by family, elderly person, and persons experiencing any physical or mental health issues.



INTERNSHIPS

We at LAW Foundation help students to explore the realm of working in a court structure, identification of cases, and community based advocacy. They also engage in research work. Students from different universities like CNLU, CUSB, NALSAR, Patna University, O.P. Jindal, NUJS, Symbiosis intern with us every year.



UNIVERSITY OF PATNA

The LAW Foundation and Patna University's sociology departments organized a workshop with 48 students to emphasize social work's role in the criminal justice system.

Collaborations





JUVENILE JUSTICE BOARD

The organization partnered with the Juvenile Justice Board (JJB), Patna to address cases where juveniles were mistakenly remanded as adults and imprisoned in jail instead of being placed in an observation home.

M POWER

In collaboration with M Power, the organization has conducted 14 mental health awareness sessions, including 9 sessions within prisons and 5 in the community, reaching a total of 572 participants.

PRATHAM

The LAW Foundation recently collaborated with PRATHAM's team in Bihar to promote livelihood skills for families of prisoners and community members.



DEPARTMENT OF PROBATION SYSTEM

On the occasion of International Prisoner's Justice Day at Central Jail, Beur, the LAW Foundation collaborated with the Department of Probation System to discuss the effective implementation of the Probation of Offenders Act in Bihar.

Collaborations





STOP Whence of the state of th





MINISTRY OF JUSTICE

The Ministry of Justice in collaboration with Bihar Institute of Public & Rural Development and Chanakaya National Law University have initiated a pan Legal Literacy and legal awareness program under the DISHA scheme.

Adv. Shalini and Adv. Santosh Kumar from LAW Foundation was invited as resource person to provide training to 100 nyaya mitras in different parts of Bihar, on the topic Domestic violence and child marriage and Addiction with Special Emphasis on Alcohol Ban in Bihar.

CHILD RIGHTS CENTER- CHANAKYA NATIONAL LAW UNIVERSITY

LAW Foundation partnered with the Child Rights Centre of Chanakya National Law University, Patna, for conducting a study on Children Incarcerated as Adults in Prisons across Bihar. The collaboration has been running since 2019 thereafter.

CENTRAL UNIVERSITY OF SOUTH BIHAR

The collaboration between the Central University of South Bihar's pro bono club, led by Dr. Deo Narayan Singh, and the LAW Foundation was aimed at inspiring students to embrace pro bono principles within the criminal justice system. Mr. Praveen Kumar, Adv. Shalini, and Adv. Santosh Kumar, highlighted the practical aspects of legal aid and social work, fostering enthusiasm among students to learn more.


Social Impact in Numbers

Initiatives	Numbers
Case Intervention	204
Personal Recognizance bail bond	128
Acquittals	10
Case disposal	06
Release on Surety	10
Home Visits	112
Prison Visits	178
Mental Health Interventions	92
Mental Health and De- addiction Sessions	35
Community Visits	79

Social Impact in Numbers

Socio-legal-aid is an intervention model that claims to restore the principles of Justice, Equality, and Equity in the Criminal Justice System in India. This Annual report, April'23 to March'24 represents socio-legal aid provided by LAW Foundation.

The graphical representation of the data is given below.



Highlight


The organization has a set of two types of Para Legal Volunteers working towards empowering their fellows with legal rights, namely Jail Para Legal Volunteers (JPLVs) & Community Para Legal Volunteers (CPLVs).

Jail Para Legal Volunteers (JPLVs) are convicted prisoners conscientiously trained by the legal team members and prison authorities. They are trained with basic legal knowledge including primary legal processes, identifying under-trial prisoners in need of socio-legal aid and orchestrating documents. The organization particularly trains JPLVs in writing legal applications, filling Vakalatnama, bail bond forms, preparing affidavits and writing Personal Recognizance (PR) bail bond applications. Moreover, they work to bridge the communication gap between DLSA members and concerned inmates. JPLVs act as a point of contact between prisoners and their lawyers.

The organization was selected one among the finalists in the AGAMI Idea Prize for initiation of JPLVs concept. JPLVs as a concept originated when the organization faced a difficulty of constant engagement with the prisoner because of the limited time and resources. Since they are convicted prisoners, they remain inside the prison and constantly engage with other prisoners that helps the organization to work effectively in limited resources. In the last year a total of 236 under-trial prisoners were identified by JPLVs who were in dire need of socio-legal aid services and were informed to the organization. As of 2023, LAW Foundation has a total of 12 JPLVs working with us in various prisons across Patna, Bihar.

Case Impact Narratives

The Gujarati brothers, struggling siblings living on Patna Junction's footpaths, were accused of theft in December 2020. Illiterate and unaware of legal intricacies, they were arrested along with their visually impaired father, who was released the next day while the brothers were detained for three days without a court appearance. In 2022, the brothers sought help from the LAW Foundation, asserting false police. by the The represented them in court, securing bail under strict conditions, including a family member acting as a bailor. Due to their socio-economic vulnerability, this was nearly impossible. After 1.5 years of effort, the advocates succeeded in relaxing the bail conditions, leading to the brothers' release after 3.5 years of incarceration. Their case highlights the broader issue of stringent bail conditions in the criminal justice system, hindering justice despite the Supreme Court's emphasis on bail.



Case Impact Narratives

Manash Kumar, a 20-year-old disowned by his family due to criminal activities, sought legal aid from LAW Foundation after being jailed for theft in July 2023. Despite a troubled past, Manash impressed the team with his politeness and intelligence. The social worker provided mental health and moral support, learning that Manash had not seen his mother in six years. The team located his mother, who initially resisted reuniting due to past financial losses caused by Manash. However, the team assured her of their commitment to his reintegration, supported by positive jail reports. Believing in his potential for change, the team continues to reformation family support his and reunification.



Md. Zaid Alam, a 32-year-old security guard from Kishanganj, struggled with mental illness and drug use, leading to his imprisonment for theft in Phulwari District Jail in 2022. Coming from a poor family background, he approached LAW Foundation for legal aid. Recognizing his mental health condition, the social worker requested bail for treatment, which the court granted on 06.03.2024, under the condition that LAW Foundation or social worker Gurudev Nanda would take custody for his reintegration and medical examination. The team received Zaid from jail, facilitated his treatment at a mental hospital, and reunited him with his mother and younger brother. They continue to follow up on his case and submit regular reports to the court.

























बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की महत्वपूर्ण धार 6



किसी मादक द्रव्य या शराब का अवैध निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, करूजा, विक्रय, क्रय, भंडारण, भांग का विनिर्माण करता है या रखता है खेती करता है, उसमें कार्य करता है, शराब निर्माण के प्रयोजनार्थ किसी सामग्री, बर्तन उपकरण का उपयोग करता है अपने कब्जे में रखता है या परिसर का उपयोग करता है इस अधिनियम के तहत दंड के भागी होगें।

आयात, निर्यात, भंडारण, क्रय, क्रिक्रय वितरण (धारा - 30): इस अधिनियम् के तहत किसी मादक द्रव्य शराब वा भाग का अवैध निर्माण आवात. निर्वात परिवादन करूना, कृष-विकृष, वितरण, संबाहण, भंडारण भारकर कल्या, क्रान्यकर, ानवरन, सकलन, नजान आदि करता है, अपने कब्जे में रखता है, परिसर का उपवान करता तो उसे प्रथम अपराध के हिल्पे 5 वर्ष के कारावास से कम और 1 लाख रूप्ये के जुमानें से कम नहीं होगा और द्वितीय अपराध के लिये 10 वर्षों के कठोर कारावास से कम तथा 5 लाख रूप्ये के जुमानें

शराब वा मादक द्रव्य का उपभोग (धारा भारत वा मारक द्रव्य का उपमान (भारत 37) जब कोई ज्वीह इस अधिनियम के तहत पहली बार गिरफतार किया जाता है तो दिये गये ब्यान के आधार पर न्युनतम 2000 रूप्या तथा अधिकतम 5000 रूप्ये का धुमतान कर खड़ेता जावेगा, धुमतान नहीं करने की दशा में 30 दिनों के साधारण कारावास

न्यायालय के नोटिस में वह भी आता है कि उक्त न्यापाय व नाटस में यह मा आता है कि उक्त व्यक्ति इस अधिनियम के तहत पूर्व में दोषसिद्ध किया गया है तो पुलिस/उत्पाद अधिकारी के रिपोर्ट पर 1 वर्ष की अवधि के साधारण कारावास का दंडादेप देगा। व्यक्ति द्वारा तुरंत जुर्माना भुगतान करने में असमर्थ होने तथा राशि की व्यवस्था करने के लिये समय देने के लिये अनुरोध करता है तो उसे न्यायिक हिरासत में सुपुर्द कर दिया जायेगा तथा जुमानें की राशि के तुरंत भुगतान के बाद उक्त व्यक्ति को छोड़

□ उत्पाद संशोधन नियमावली 2023 भुगतान पर वाहन/सवारी आदि को छोड़ना (धारा 12 (2): इस अधिनियम के तहत कोई वाहन, सवारी, बर्तन, पशु



या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई पदाधिकारी भुगतान करने पर वाहन को छोड़ सकेगा। जहाँ वाहन का स्वामी दावा पर वाहन को छोड़ सकेगा। जहाँ वाहन का स्वामी दावा करने के लिये नहीं आता है तो जाती की तिथी से 15 दिनों के इन्तजार के बाद निलामी की कार्यवाई करेगा, पदाधिकारी द्रव्य की मात्रा वाहन स्वामी की सॉलमत और वाहन का नवीनतम बीमाकृत मूल्य का उचित ध्यान रखेगें। किसी भी स्थिति में वाहन के बीमाकृत मूल्य के 10 प्रतिशत से कम और 5 लाख रूप्ये से

परेशान करने के लिये ली गयी तलाशी प्रवेश, गिरफतारी (धारा - 50): वदि कोई उत्पाद पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी वा कोई अन्य व्यक्ति श्रक करने के समुचित आधार के बिना परेशान करने के उदेश्य किसी बंद स्थल में प्रवेश करता है या प्रवेश कराता है या तलाशी लेता है या तालाशी कराता है या किसी व्यक्ति को गिरफतार करता है या अपनी कानूनी शक्तिगों के बाहर जाता है तो वह अधिकारी कारावास का भागी होगा जिसकी अवधि तीन वर्ष तक बढ़ावी जा सकेगी या जुमानें से जिसे एक लाख रूप्ये तक बढ़ाया जा सकेगा या दोनो का भागी होगा।

क्या इस अधिनियम के तहत अग्रिम जमानत हो सकता है धारा-76(2): इस अधिनियम के तहत अग्रिम जमानत पोषणीय नहीं है। रवि पाण्डेय बनाम विहार राज्य 2021 (3) बीठएला जेठ ४३१ माननीय पटना उच्च नावालय ने भी कहा है कि इस अधिनियम के तहत अग्रिम जमानत पोषणीय नही है।

□ वाद का विचारण (धारा - 84): इस अधिनियम के तहत वाद का विचारण आरोप पत्र समर्पित किये जाने की तिथी से एक वर्ष के अंदर विशेष न्वायालय यवासंभव प्रवास करेगा। ऐसे मामले जहाँ अपराध मृत्यु र्दंड वा कमसेकम 10 वर्षों के कारावास से दंडनीव है वह रजिस्ट्रीकरण की तिथी से 90 दिनों अंदर एवं अन्य सभी मामलों में रजिस्ट्रीकरण की तिथी से 60 दिनों के अंदर प्रतिवेदन दाखिल करेगा।

 बिना वारंट के प्रवेश करने, निरीक्षण करने, Year : 4, Vol : 4

त्याता रान ये जात नत्य का साध्य है या पा जा जो के की यो जाता आयुक्त या करालदर करालदर द्वारा प्राधिकृत प्रखाण्ड स्तर और उपर का कोई अन्य प्राधिकृत प्रखाण्ड स्तर और उपर का कोई अन्य प्राधिकृत यो कोई उत्पाद प्रचिक्तारी या कोई उत्पाद प्रचिक्तारी या सहरक अवद निर्मेशक या राज्य सस्कार द्वारा प्राधिकृत या अन्य कोई प्रचिक्तारी किना वारंट के किसी समय, दिन हो या कोई प्रचिक्तारी किना वारंट के किसी समय, दिन हो या रात प्रवेश कर सकेगा, तलाशी ले सकेगा, निरीक्षण कर सकेगा व जप्त कर सकेगा।

 अपील माननीय उच्च न्यायालय में (धारा -89): विशेष न्यायालय के निर्णय से व्यक्ति कोई व्यक्ति आदेश की तारिख से 45 दिनों के भीतर उच्च न्यायालयों में अपील कर सकेगा।

अध्यास आयुक्त या करलक्टर कर पादा (पादा न २) : उताय आयुक्त या करलक्टर के असाव किसी अन्य उत्पाद पदाधिकारी के द्वारा इस अधिनत्वम के अधीन पारित सभी अतिम आदेत, आदेत पारित किये जाने की तारीख से 60 दिनों के भीतर आयुक्त या करलक्टर के पास अधीलनीय होंगें।

अन्नवर शराब व्यापार म अन्नवरकर व महिलाओं का नियोजन (श्वार - 44): 18 वर्ष से कम अनु के किसी व्यक्ति अचना महिला को शराब अचना माइक हव्य को छुपने, किकी करने, रखने परिवार-करने अचना विकरण करने के प्रयोजन से नियोजित करता है उसे कम से कम 10 वर्षों के काराबास से जिसे बढ़ाकर आजीवन कारावास तक किया जा सकेगा तथा जुमानें से जो कम से कम 1 लाख रूप्या होगा जिसे बढ़ाकर 10 लाख रूप्ये किया जा सकेगा

दण्डनाथ हाना। साथ ही 18 वर्ष से कम आबु के किसी अववस्क व्यक्ति या किसी महित्ना को मादक द्रव्य अथवा शराब को कब्जा में रखने, भंडारित करने, वितरित करने, विक्रय करने, क्रय करने, परिवहन करने अथवा उपभोग करने के लिये धमकाता है, फुसलाता है, प्रलोभन देता है अथवा बढ़ावा देता है अथवा धमकाने, प्रलोभन देने ह जयवा बढ़ावा दता ह जयवा वमकान, प्रशासन दन की चेष्ट करता है वह कम-से-कम 8 वर्षों के कारावास से जिसे बढ़ाकर 10 वर्षों तक किया जा सकेगा और जुमार्ने से जो कम से कम 1 लाख रूप्ये होगा जिसे बढ़ाकर 10 लाख रूप्ये किया जा सकेगा दंडनीय होगा।

विचि-विमर्श = मार्च-अप्रैल २०२४

हिन्दुस्तान

गया, शनिवार, २४ फरवरी २०२४ PRO @ CUB.AC.IN

सीयूएसबी में छात्रों ने प्लेसमेंट के आयामों को समझा

कन्द्रीय विश्वविद्यालय (सीय्एसवी) के स्कूल ऑफ लॉ एंड गवर्नेस में संचालित प्रो बोनो क्लब ने राक्रवार को जागरूकता-सह-प्लेसमेंट डाइव का आयोजन किया।

प्रो वाना क्लब के नोडल अधिकारी डॉ देव नारायण सिंह के नेतृत्व में पटना के लॉ फाउंडेशन ऑर्गनाइजेशन (एलएफओ) एनजीओ ने भाग लिया। रनजीओं के सदस्य प्रवीण कुमार, र्डवोकेट संतोप कुमार, एडवोकेट गालिनी एवं एडवोकेट खुशवू ने छात्रों को अपने संस्थान के बार में बताया। **मारतीय** कानन क्षेत्र में कार्यरत लॉ

फाउंडेशन ऑगॅनाइजेशन ने छात्रों को प्लेसमेंट के विभिन्न आयामों से रूबरू करवाया।

उन्होंने कई छात्रों के साक्षात्कार लिए और चयन प्रक्रिया के पश्चात कुछ छात्रों को एनजीओ में काम करने के लिए चयनित भी कर लिया, जिसमें समाजशास्त्र विभाग के रूपेश कुमार, निशांत कुमार और रितु रानी शामिल हैं।

एनजीओ के आने का उद्देश्य छात्रीं को अपने एनजीओ में इंटर्नशिप करने का मौका देना भी था और इंटर्निशिप करने वाले छात्रों को वेतन में दिया जाएगा। इंटर्निशप के माध्यम से. काननी



जागरुकता कार्यक्रम में शामिल विद्यार्थी व अन्य। • हिन्दुर

छात्रों को व्यावसायिक अनभव प्राप्त करने का अवसर मिलेगा. जिससे व्यक्तित्व निखारने और आगे रोजगार के अवसरों के लिए तैयार करने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा, यह संस्थानिक संबंध छात्रे के लिए अद्वितीय शिक्षाई अनुभव क भी माध्यम होगा।

सुखे नशे का बढ़ता प्रचलन समाज के लिए खतरनाक

🗉 पटना (एसएनवी) ।

आदर्स कन्द्रीय कारा, बेउर में जिला विधिक सेवा प्राधिकर व लॉ फांउडेशन की और से शनिवार को वीरियों के बीच विधिक जानरूकता

हानियाद को बहियों के बीच विकित्य जायनकाता हिविद्य अवधीता किया गया। शिविद में फैनल अधियता संदेश कुम्बद ने बीदियें को लेकिन अधियता संदेश कुम्बद ने बीदियें को लेकिन इंक को में शिवदार से नवाया। उन्होंने कहा कि ऐसी बीदि जिलके पुलकारों तहीं जा गरि और बोच की पित्रके पुलकारों तहीं जा गरि और वेच समय में जला में हैं उन्हें बीदें आवेदन लेकिन बीदिया की लिया विकित से मुश्लिकर की और में निश्लीकर कींग्रस्ता मुर्गिय कराया जा सके और यो जायन पर लेकिन में अहम में उनके अधिवाद के बारे में बाहाया उनकी सवाया की अधिवाद के बीद में बाहाया उनकी सवाया की स्थितक कोंग्रस्ता मुर्गिय करायों का माने अधिवाद के बीद में बाहाया उनकी सवाया की

शिविर वोले मनोचिकित्सक

श्वितिकर सारी मन्तिविकरस्वक मन्तिविकरस्वक ती. मन्त्रेक कुमार ने सहाय कि स्तामबंदी के बाद से खालकर नुकाओं में सूखें नवे का प्रपालन बहुर राह है जो सामाज के लिये जानी का स्तामक है । उनदीन कहा कि खेल आजे के अनीक संक्रह हो सकता है । विक्रान आजे के अनीक संक्रह हो सकता है । व्यक्ति कामा मंदना व स्तामुग्लोकन को कहना है । व्यक्ति कंपीक आजीक मार्जिलक का प्रीप्त्यक्त मंत्रीक आजीक मार्जिलक का प्रीप्त्यक्त भूमोंक आजीक मार्जिलक का प्रीप्त्यक्त भूमोंक उर्जाक मार्जिलक का प्रीप्त्यक्त भूमों स्त्राम कर विकास कर कि स्त्राम कर स्त्राम की हो । व्यक्तिक मंत्री को से स्त्राम नी ने बहिन्द को प्रस्ता कर से अपने से स्त्राम ने बहिन्द को प्रस्ता कर से स्त्राम कर सामाज में मुख्यक्त पोग्रप्त देवार मिसल कारण करें।

बेऊर कारा में आयोजित

बेउर जेल में विधिक सह मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोज



जागृति टाइम्स

शनिवार, 24 फरवरी, 2024 PRO@CUB.AC.IN

प्रो बोनो क्लब ने किया जागरुकता सह प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन

गया, संवाददाता। दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लॉ एंड गवर्नेस में संचालित प्रो बोनो क्लब ने शुक्रवार (23 फरवरी) को एक जागरूकता-मह-प्रवेमप्रेंट ब्रइव का आयोजन किया।

जन सम्पर्क पटाधिकारी मोहम्मट मुदस्सीर आलम ने बताया कि प्रो बोनो क्लब के नोडल अधिकारी डॉ देव नारायण सिंह के नेतृत्व में पटना के लॉ फाउंडेशन ऑगेर्नाइजेशन एनजीओ ने भाग लिया। एनजीओ के सदस्य प्रवीण कुमार, एडवोकेट संतोष कुमार, एडवोकेट शालिनी, एवं एडवोकेट खुजबू ने छत्रों को अपने संस्थान के बारे में बताया। उन्होंने कई छत्रों के साक्षात्कार लिए और चवन प्रक्रिया के पश्चात कुछ छात्रों को एनजीओ में काम करने के लिए चयनित भी कर लिया जिसमें समाजज्ञास्त्र विभाग के रूपेज कुमार, निज्ञांत कुमार और रितु रानी ज्ञामिल हैं।



PRO @ CUB.AC.IN **Central University of South Bihar**

प्रो बोनो क्लब ने प्लेसमेंट डाइव का किया आयोजन

बोधगया. दक्षिण विहार केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयूएसयी) के स्कूल ऑफ लॉ एंड गवर्नेस में संचालित प्रो योनो क्लय ने शुक्रवार को एक जागरूकता-सह-प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया. जनसंपर्क पदाधिकारी (पीआरओ) मोहम्मद मदस्सीर आलम ने बताया कि प्रो योनो क्लब के नोडल अधिकारी डॉ देव नारायण सिंह के नेतृत्व में पटना के लॉ फाउंडेशन ऑगेंनाइजेशन (एलएफओ) एनजीओ ने भाग लिया. एनजीओ के सदस्य प्रवीण कुमार, एडबोकेट संतीप कुमार. एडवोकेट शालिनी, व एडवोकेट खराय ने छात्रों को अपने संस्थान के के बारे में बताया. भारतीय कानन क्षेत्र में कायंरत लॉ फाउंडेशन ऑर्गैनाइजेशन ने छात्रों को प्लेसमेंट के विभिन्न आयामी से रू-च-रू



न्याय विभाग द्वारा कला भवन में न्याय मित्र को दिया गया दो दिवसीय प्रशिक्षण



मार्गदर्शक न्यूज, सहरसा। सहरसा न्याय विभाग भारत सरकार के द्वारा राज्य शाखा पटना के माध्यम से बिहार के सात जिलों के सात सौ न्याय मित्रों का दो दिवसीय प्रशिक्षण बधवार को सपर मार्केट स्थित कला भवन में प्रारंभ हुआ। राज्य प्रशिक्षक संजय कुमार एवं अमन कुमार ने बताया कि बिहार के 7 जिलों में प्रमुख रूप से बाल विवाह, बाल मजदूरी, मानव व्यापार, साइबर ऋइम, दहेज प्रथा एवं घरेलु हिंसा को रोकने के लिए इन सब चीजों के प्रति नया मित्रों को कानुनी जानकारी देकर प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण शिविर में केंद्र एवं राज्य से 15 प्रशिक्षक आए हैं। जो जिले के 106 न्याय मित्र को प्रशिक्षित किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि भारत सरकार इन विषयों को लेकर काफी चिंतित है क्योंकि पूरे देश में न्यायालय में मुकदमों का अंबार लगा हुआ है। जिसके कारण लोगों को त्वरित न्याय नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि गांव स्तर पर पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। वही 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायत को असीमित अधिकार प्रदान किया गया है।पंचायत में ही विवादों को सलझाया जा सकता है। इसके लिए ग्राम कचहरी तथा सरपंच के

छोटा विवाद बड़े विद्वेष का बन जाता है कारण



कला भवन में प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते पदाधिकारी।

नशा एक गंभीर सामाजिक बुराई है : अधिवक्ता संतोष

सीतामढी : न्याय विभाग रत सरकार के आदेशानुसार पार्ड के तत्वाधान में पंचायत साधन केंद्र सभागार में दो वसीय कार्यशाला का आयोजन व्या गया। पटना हाई कोर्ट के धिवक्ता संतोष कुमार ने नशा क्ति व घरेलु हिंसा पर अपनी ातों कोई न्याय मित्रों के बीच खे। श्री कुमार ने नशे को एक भीर सामाजिक बुराई बताते हुए राव बंदी कानून के बारे में स्तृत रूप से बताया उन्होने कहा ी पहली बार कोई शराब सेवन पकड़ा जाता है तो दो से पांच जार जुमानां देकर बिना जेल गए ट सकता है। लेकिन जुमानां की शि जमा नहीं करने पर 30 दिनों



प्रावधान है। शराब के साथ पहली पकड़े जाने पर कमसेकम 5 वर्ष तथा दूसरी बार 10 साल से कम सजा नहीं होगा। गाड़ी जप्त होने पर इन्सुरेंस वैल्यू का 10-50 प्रतिशत राशि जमा करने पर गाड़ी मुक्त होगा। उन्होंने कहा की

चन्दन कुमार बाल विशेषः सुश्री अंतरा झा साइबर क्राइ एक्सपर्ट चाणक्य राष्ट्री विधि विश्वविद्यालय,पटना बाल अधिकार केंद्र के केंद्री समन्यवक डॉ. अमन कमा

प्रलोभनों में फंसकर युवा हो रहे बर्बाद

बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान की ओर से कार्यक्रम

भास्कर न्यूज्ञ| सीतामदी

बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण संस्थान (बिपार्ड) ओर से जिला परिषद कार्यालय में स्थित जिला पंचायत संसाधन केंद्र सभागार में दो दिवसीय कार्यशाला संपन्न हुआ। दूसरे दिन के कार्यशाला की शुरुआत में मौजूद विधि मित्रों ने उपस्थिति पंजी पर अपना नाम पता दर्ज कराया। वहीं डॉ. अमन कुमार ने दहेज प्रथा, बाल विवाह, नशा मुक्ति और साइबर अपराधों के बारे में बताया। प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी अभिनय गिरी ने कहा कि ये समस्याएं सामाजिक कुरीतियां हैं। इन कुरीतियों से समाज को मुक्त करा कर एक स्वस्थ, सुंदर, स्वच्छ



कार्यक्रम में शामिल प्रतिभागी व अन्य।

समाज का निर्माण करना है। वहीं अधिवक्ता संतोष कुमार ने नशे को एक गंभीर सामाजिक बुराई बताया। उन्होंने नशे के विभिन्न प्रकार, उसके बदलते तरीकों, नशे में लिप्त होने के कारण पर विस्तृत चर्चा की। कहा कि बिहार में पुण शराबबंदी लागू है। बिहार में शराब का क्रय-विक्रय, संग्रहण आदि अपराध है। उसके बावजूद लोग झुठे प्रलोभनों में फंसकर, शराब

माफिया बच्चों का सहारा लेकर जिस तरह से अवैध व्यापार कर रहे हैं, इसे रोकने के लिए हम सब को कानूनी और सामाजिक दोनों तरीके से मजबूत होना होगा। बताया कि बिहार के कुछ जेलों में रेडियो दोस्ती एफएम के माध्यम से कारा में बंद बॉदियों को नशा मुक्ति और होने वाले सामाजिक, शारीरिक नुकसान के संबंध में जानकारी दी जा रही है।

L-WATAN

IMES

اينابيار

Apna Bihar

یں تیزی ہے مال

اسٹیشن،ریائی یا توی خو 220-15-10 مواتمن جيلب لأأن الميس-110 او 112 پآپڙيايت کريج ۾ ے قراہم کی جاتے والی ساتھ انسائی اقدار کے تیا ہونا بھی ضروری ہے تاک



میں بھی تفصیلی جانگاری دی۔ انہوں نے بتایا کہ فشهران كامم كتحتآب ليكافون نمبريه €1415545-18003456268 کے ویں۔اس کے علاوہ آپ نشر چیزائے کے مراکز ،اس علاقے میں کام کرنے والی رضا کار تظیموں، مقامی انظامیہ ہے بھی مدد لے سکتے ك مسئله براياني بات شروع كى- محترمه جها فے کہا کہ سائیر کرائم آج ایک عالمی جرم ہے۔ ال سے ب سے برا تحظ آگای بے میکنالوق کی رق کے ساتھ سائیر کرائم کی نوغیت بہت تیزی سے بدل رہی ہے۔ مجرم تارے خلاف الی تھنکیوں کا استعال کرتے ہوے ایے جرائم کرتے ہیں جس کا ہم تصور بھی نیں کر سکتے۔ جہاں ایک طرف مورفین اور ائل (مصنوق ذبانت) كفوائد ين وي دوسرى طرف سائير كرائم بن ملوث اوك اس كا

نے اور ان کے مناسب اور تعلی بخش جوابات قانونی تجارت بوری ہاں کورو کئے کے لیے بم سب كو قانوني اور ساتي طور پرمضبوط مونا پڑے گا۔ انہوں نے شراب پر بابندی کی مخت شبط مختلف شقوں، شراب پر بابندی کے تحت شبط کے گئے مکانات اور گاڑیوں سے متعلق سیکشن 62.58.57.56 مريم شده ايك 2022 الله الله يحرم الدرات الم كرائم ک وفعہ 14 کے بارے میں ہمی تنصیل ہے بات کی اور وہاں موجود کانونی دوستوں کو معلومات ویں۔ شری کمار نے بتایا کداس وقت ريد يودوق الف ايم بهاري كوچيلول مي ایک ریڈ ہے چین کے ذریعے ماہرین جیل میں قیدیوں کونشہ چھوڑنے اور اس سے بونے والے معاشی الای اورجسمانی نقصانات ك بارك مين معلومات فراجم كرت ين-انہوں نے بتایا کداب تک صرف پٹندیں

نه گاؤل، پنجایت، ساخ کو ئله مرائي بات كا آغاز ، کی وجوہات پر تفصیل سے وسأ الكومل يرتديض



Our Partners

















